न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–148/2018
CIS NO. TS-509/2018

मुकेश जयसवाल..वादी
बनाम
सुन्दरपति देवी एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
07.06.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 24.02.2023 के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 प्रमोद कुमार जयसवाल की मृत्यु दिनांक 04.01.2023 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0–02 प्रमोद कुमार जयसवाल के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे दो पत्नी शांति देवी (प्रतिवादी सं0–05), सुन्दरपति देवी (प्रतिवादी सं0–01) तथा तीन पुत्र रवि कुमार जयसवाल, विनय कुमार जयसवाल (प्रतिवादी सं0–03 और प्रतिवादी सं0–04) तथा मुकेश जयसवाल (वादी) तथा एक पुत्री रचना कुमारी (प्रतिवादी सं0–06) को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–02 प्रमोद कुमार जयसवाल का नाम कलमजद करने की कृपा करें। उनके सभी विधिक वारिसान पूर्व से ही प्रस्तुत वाद में पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन को खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 प्रमोद कुमार जयसवाल	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–148/2018
CIS NO. TS-509/2018

मुकेश जयसवाल...वादी

बनाम

सुन्दरपति देवी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **07.06.2023**	की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादी के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है। प्रस्तुत आवेदन समय सीमा से दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–02 का नाम कलमजद करें। वाद दिनांक 03.07.2023 को वादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	